

म

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

2



3

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) राजेन्द्र कुमार एवं (2.) रजनीकान्त दोनों के पिता स्व० भुनेश्वर बैठा, निवास स्थान ग्राम-हुड़हुड़, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुड़, थाना नं०-147, खाता संख्या-61, प्लॉट संख्या-1544, रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि रेखा देवी पति स्व० प्रदीप कुमार चौधरी, निवास स्थान ग्राम-बादम, पोस्ट-बादम, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं केवाला की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON21009002 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-36/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2069/रा० दिनांक 27.10.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 417 दिनांक 15.03.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदक को आवेदित केवाला से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियान विसुन लाल वगै० के नाम से है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 0.05 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.05 एकड़ भूमि है। भुनेश्वर बैठा के नाम से पंजी-11 में जमाबंदी दर्ज है। लगान वर्ष 2018-19 तक निर्गत् है। आवेदक के पिता जमाबंदी रैयत हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 0.05 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 0.10 एकड़ भूमि बचता है। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आवक कार्ड टिप्पणी
1	2	
	<p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) राजेन्द्र कुमार एवं (2.) रजनीकान्त दोनों के पिता स्व0 भुनेश्वर बैठा, निवास स्थान ग्राम-हुड़हुड़, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुड़, थाना नं0-147, खाता संख्या-61, प्लॉट संख्या-1544, रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि रेखा देवी पति स्व0 प्रदीप कुमार चौधरी, निवास स्थान ग्राम-बादम, पोस्ट-बादम, थाना-बड़कागाँव, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	

कार्यालय

प्रेषक,

से